लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 198

24 नवम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

198. श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के बर्नपुर संयंत्र में हाल की दुर्घटना सहित देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में सूचित दुर्घटनाओं के ब्यौरे क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में मृत/चोटिल कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस्पात उद्योग कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति का उचित कार्यान्वयन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सेल तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों पर वार्षिक रखरखाव के व्यय का वर्ष-वार ब्यौरे क्या हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) और (ख): विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में जो दुर्घटनायें हुई हैं उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। इन संयंत्रों में दुर्घटनाएं ऊंचाई से गिरने, जहरीली गैस फैलने, बिजली का करंट लगने, जलने, आग/विस्फोट आदि जैसे कारणों से हुई है।

दिनांक 25.09.2014 को इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में एक बिस्फोट हुआ था जिसके बाद संयंत्र में आग लग गई। इससे प्रभावित हुए 24 व्यक्तियों में से 23 को आग लगने से चोटें पहुची हैं और एक व्यक्ति गैस से प्रभावित हुआ है। पॉच व्यक्तियों की उनके उपचार के दौरान चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। देश में बड़ी संख्या में इस्पात कारखाने/संयंत्र मौजूद हैं। इसलिए, इस्पात मंत्रालय द्वारा निजी इस्पात क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित आंकड़े/सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं।

नियमित कर्मचारियों की घातक दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिपूर्ति कानून/कंपनी नीति के अनुसार प्रदान की जाती है। सेल और आरआईएनएल अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान दि इम्पलोई कम्पनशेसन एक्ट, इम्पलोई फैमिली बेनिफिट स्कीम और कंपनी नीति के अनुसार रोजगार से और रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु/विकलांगता की दशा में करते हैं। संविदागत श्रमिक के मामले में प्रतिपूर्ति/आश्रित लाभ का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत किया जाता है। सेल और आरआईएनएल ने वर्ष 2011 से अब तक घायल व्यक्तियों और मृत कर्मचारियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति के रूप में कुल मिलाकर 19,78,15,839 रूपये का भुगतान किया है।

(ग) कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों और ओएचएसएएस-18001 पर विचार करते हुए सेल और आरआईएनएल ने कार्मिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति तैयार की है।

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान सेल और आरआईएनएल के विभिन्न संयंत्रों के वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्नवत् है:-

सीपीएसई के नाम	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
सेल	5784	6155	6556
आरआईएनएल	767.18	826.24	1012.19

***

अनुलग्नक

(लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 198, दिनांक 24.11.2014)

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों और यूनिटों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (संयंत्र-वार)

संयंत्र/यूनिट	घातक दुर्घटनाएं (फैटलिटी)				अन्य सूचना योग्य दुर्घटनाएं (घातक दुर्घटनाओं को छोड़कर)			
अवधि	2011	2012	2013	2014 (17.11.2014 तक)	2011	2012	2013	2014 (अक्तूबर, 2014 तक)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड								
भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़)	1	1	5	8	8	6	10	11
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पं. बंगाल)	0	7	7	2	0	0	3	2
राउरकेला इस्पात संयंत्र (ओडिसा)	3	5	2	2	12	4	4	1
बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखण्ड)	3	9	6	2	5	6	5	7
इस्को इस्पात संयंत्र (पं. बंगाल)	6	3	3	8	12	8	7	28
अलॉय इस्पात संयंत्र (पं. बंगाल)	1	0	0	0	0	0	0	3
सेलम इस्पात संयंत्र (तमलिनाडु)	0	0	0	0	3	1	0	5
विश्वेश्वरैया आयरन एंड इस्पात संयंत्र (कर्नाटक)	3	0	0	0	6	8	3	1
चन्द्रपुर फैरो अलॉय प्लांट (महाराष्ट्र)	0	0	0	0	4	4	2	2
स्टॉक यार्ड	1	1	0	1	5	1	0	0
रॉ मटेरियल डिवीजन (माइंस) (ओडिसा)	0	0	3	1	1	2	5	3
भिलाई माइंस (छत्तीसगढ़)	1	1	0	0	17	17	19	10
कोलरीज (झारखण्ड)	1	0	2	0	5	1	1	1
सेल रिफैक्ट्री यूनिट (छत्तीसगढ़)	1	0	0	0	8	20	16	10
योग (सेल)	**21**	**27**	**28**	**24**	**86**	**78**	**75**	**84**
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	**8**	**25**	**3**	**5***	**46**	**33**	**20**	**13**
कुल योग	**29**	**52**	**31**	**29**	**132**	**111**	**95**	**97**

* अक्तूबर, 2014 तक- विस्तार यूनिटों के ऐसे 2 व्यक्ति शामिल है जो आरआईएनएल को सौपे नहीं गये है।

****